# राजस्थान सरकार
# आबकारी विभाग

## वर्ष 2019–2020 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. **पात्रता**

देशी मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेंगे। :–

(i) भारत का नागरिक नही हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,

(iii) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) वर्ष 2018–19 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2018 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(v) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो ।

(vi) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

(vii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये पात्र नही होंगे।

2. **अवधि**

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2019–2020 (दिनांक 1–4–2019 से दिनांक 31–3–2020) के लिये होगी।

3. **बन्दोबस्त की प्रणाली :–**

वर्ष 2019–2020 हेतु देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

3.1 देशी मदिरा खुदरा विक्रय के वर्ष 2019–2020 के अनुज्ञापत्र समूहवार निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि पर एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये जायेंगे।

4. **बन्दोबस्त की प्रकिया :–**

वर्ष 2019–20 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें, जिन्हें विभागीय वेबसाईट के अलावा आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4.1. जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

5. **आवेदन पत्र**

**5.1** समस्त आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट **https://www. rajexciseapplication 2019-20.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर स्वीकार किये जाऍगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

**5.2 आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से भरे जा सकते है।**

**5.3** इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहो/दुकानों की निर्धारित संख्या की सूची एवं एकाकी विशेषाधिकार राशि की जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www. rajexciseapplication2019-20.org** पर उपलब्ध है।

5.4 ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट **https://www. rajexciseapplication 2019-20.org** पर **दिनांक 09.02.2019 से 26.02.2019 को रात्रि 12.00 ए.एम. बजे तक भरे जा सकते है।** इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।

**5.5 विशेषतः जिस समूह/दुकानों के समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों के समूह के लिये अमानत राशि शून्य होकर केवल आवेदन शुल्क ही जमा कराना आवश्यक है।**

**5.6** आवेदन शुल्क इन्टरनेट बैंकिग/ई–ग्रास चालान/ई–मित्र सेन्टर/संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।

**5.7** आवेदन शुल्क का इन्टनेट बैंकिग एवं ई–मित्र के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों को आवेदन एवं चालान की भौतिक रूप से प्रति संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

ई–ग्रास चालान/डी0डी0 के माध्यम से बैक में आवेदन शुल्क जमा कराने वाले आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं चालान का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM)

के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जाकर प्रिन्टेड़ आवेदन पत्र एवं चालान/डी0डी0 को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा **28.02.2019 को 6 पी.एम. तक,** जो भी पहले हो, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी,**

**5.8** किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान /दुकान समूह आवंटित नही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों हेतु आवेदन करता हैं तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता हैं तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किया जायेगा जिसके लिये सबसे कम आवेदन प्राप्त हुये हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकान/ दुकान समूह आवंटित की जायेगी जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो । एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को नहीं देने पर इसे आवेदन आमन्त्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिये एक से अधिक दुकान हेतु आवेदक का चयन/स्वीकृति निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि व अन्य समस्त जमा राशियां जप्त कर ली जायेगी ।

5.9 देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

| क.स. | श्रेणी | आवेदन शुल्क रूपये में |
|---|---|---|
| 1 | वर्ष 2019–2020 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह | 23000/– |
| 2 | वर्ष 2019–2020 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह | 28000/– |

5.10 रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने की स्थिति में नाम के कॉलम में आवेदक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म/कम्पनी का नाम अंकित किया जावे। रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म/कम्पनी द्वारा किसी एक भागीदार/निदेशक को ऑन लाईन आवेदन करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ऑन लाईन आवेदन में इसी अधिकृत व्यक्ति की आयु का अंकन एवं हस्ताक्षर तथा फोटो अपलोड करना पर्याप्त होगा।

कम्पनी अथवा फर्म की ओर से आवेदन करने की स्थिति में केवल सफल आवेदक को दुकान संचालन करने से पूर्व फर्म को रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रति तथा कम्पनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ ऐसोसिएशन की प्रति, फर्म अथवा कम्पनी की ओर से अधिकृत किये गये साझेदार/व्यक्ति के

संबंध में पारित रेजोल्यूशन/पत्र की प्रति, पार्टनरशिप डीड या कम्पनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ ऐसोसिएशन की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये दोनो दस्तावेज ऑन लाईन आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

5.11 डी0डी0 के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराने वाले जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क, एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

5.12 सफल आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट में से किसी एक की स्पष्ट पढने योग्य स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। साझेदारी फर्म की ओर से आवेदन करने की स्थिति में साझेदारी डीडी की स्व प्रमाणित प्रति, कम्पनी की ओर से आवेदन करने की स्थिति में मेमोरेन्डम एसोसियेशन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

5.13 सफल आवेदक को वर्ष 2019–2020 के लिए निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2019 से पूर्व अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, तक राजकोष में जमा करानी होगी।

5.14 उपरोक्तानुसार अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि प्रतिमाह निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

5.15 जो आवेदन अपूर्ण होगें अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

5.16 सफल आवेदक यदि आयकर विभाग का पेन नम्बरधारी नही हैं तो उसे 30.04.2019 तक पेन नम्बर प्राप्त कर विभाग को सूचित करना होगा ।

## 6. वार्षिक राशि

देशी मदिरा दुकान/दुकाने ग्राम पंचायतवार अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका के वार्ड वार अथवा उनके समूह में जिस रूप में अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी सूची एवं राज्य की समस्त दुकानो के संदर्भ में वर्ष 2019–20 की वार्षिक राशि इत्यादि का विवरण विभाग की वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2019-20.org** पर उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को सर्वप्रथम उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त दिशा–निर्देशों, अनुज्ञापत्रों की शर्तो एवं दुकानों की वार्षिक राशि इत्यादि का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये तथा इन प्रावधानो से पूर्ण सहमत होने पर ही विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस संबंध में आवेदक को बाद में किसी प्रकार की उजरदारी या आपत्ति करने का अधिकार नही होगा। सफल आवेदक को वर्ष

2019–20 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में बिन्दु संख्या 5.12 में दिये गये निर्देशानुसार राजकोष में जमाराज करानी होगी।

## 7. धरोहर राशि अदायगी

7.1 सफल आवेदक को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2019–20 की वार्षिक राशि की 8% राशि जमा करानी होगी। आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर निर्धारित धरोहर राशि की 4 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से 3 दिन में (लाटरी के दिन को छोड़कर) तथा शेष 4 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक (लाटरी के दिन को छोड़कर) से 10 दिन में या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, धरोहर राशि के रूप जमा करानी होगी।

7.2 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा धरोहर राशि/ अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि राज्यसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।

## 8. दुकानों का संचालन

8.1 आवेदक को अपनी देशी मदिरा दुकान पर देशी मदिरा के साथ 25 यूपी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा के प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भा.नि.वि. म. बेचने की ही अनुमति होगी। कम्पोजिट दुकानों पर देशी मदिरा के साथ विदेशी मदिरा/भा.नि.वि.म./वाईन/आर.टी.डी./बीयर बेचने की अनुमति होगी । आवेदक को अपनी दुकान पर किसी भी रूप में मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी ।

8.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेनी होगी। राज्य के निजी क्षैत्र में कार्यरत डिस्टलरीज व पात्र बोटलिंग प्लाटंस द्वारा निर्मित की गई देशी मदिरा भी राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामो पर बिक्री हेतु सम्बन्धित डिस्टलरीज द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

8.3 खुदरा अनुज्ञाधारी को मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत 40 यू.पी. देशी मदिरा से तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्गम 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा सम्मिलित रूप से लेना आवश्यक होगा।

प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना अनिवार्य है। लेकिन किसी माह में 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही हो पाने पर अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के तीन माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के योग की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव के लिए जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

एक त्रैमास में इस अनुपात से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यू.पी. देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति की अन्तर की राशि राजकोष में पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

8.4 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगें ।

8.5 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तो में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे / गांव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह वार्षिक राशि या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

8.6 वर्ष 2019–2020 के लिये दो या दो से अधिक दुकान वाले मदिरा समूह को एक गोदाम की सुविधा रूपये 20000/– की वार्षिक फीस पर उपलब्ध होगी। रूपये 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू. 30,000/– की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा उपलब्ध होगी। कम्पोजिट दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम में देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के भण्डारण की अनुमति दी जा सकेगी। गोदाम की दुरी ग्रामीण क्षेत्र स्वीकृत मदिरा दुकान से 1 कि.मी की परिधी में तथा शहरीय क्षेत्र में 500 मीटर की परिधी में होगी। उक्त मदिरा गोदाम मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017, 11.07.2017 एवं 23.02.2018 के अनुसार दी जावेगी।

## 9. कम्पोजिट दुकाने

**9.1** राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं ''चतुर्थ श्रेणी'' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिकाओं को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी। कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। वर्ष 2019–20 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस को 29 मार्च, 2019 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

9.2 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी :–

(i) **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : नगर निगम/ नगरपरिषद/ द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिकायें की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें : "चतुर्थ श्रेणी"** की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें कहलायेंगी।**

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी।

**9.3 परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–**

9.3.1 वर्ष 2019–20 में ऐसी दुकानें जो बिन्दु संख्या 10.2 (i) एवं (ii) के अनुसार परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकाने मानी गयी है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस इस परिधि में स्थित गांवों को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी ।

**(i) ''अ'' श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–06 से वर्ष 2018–19 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

**(ii) "ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होंगे।

9.3.2 वर्ष 2019–20 के लिए अनुज्ञाधारी द्वारा उसके समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2018–19 की आर.एस.बी.सी.एल की एन्युलाईज्ड बिंलिंग राशि का 8 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से नकद देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव की सीमा में मदिरा दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2018–19 की आर.एस.बी.सी. एल. की एन्युलाईज्ड बिंलिंग राशि का 8 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 75,000/– में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

9.3.3 वर्ष के दौरान परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु "ब" श्रेणी गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

9.3.4 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की सम्बन्धित वर्ष की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा।

परिधीय क्षेत्र की अ श्रेणी के गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

वर्ष 2019–20 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस को 29 मार्च 2019 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा ।

10. **कम्पोजिट फीस के स्थानान्तरण का विकल्प :–**

वर्ष 2019–20 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2019–20 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

11. **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों** की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

(i) वर्ष 2019–20 हेतु **"चतुर्थ श्रेणी"** की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर ) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया अनुसार की जावेगी :–

(क) वर्ष 2019–20 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 8 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 13 (i) (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

(ii) वर्ष 2019–20 में ''चतुर्थ श्रेणी'' नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की प्रत्येक दुकान के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय ''स्पेशल वेण्ड फीस'' के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर ''स्पेशल वेण्ड फीस'' पृथक से नकद देय होगी।

12 **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–**

(i) वर्ष 2019–20 के लिये ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2018–19 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) के 8 प्रतिशत अथवा वर्ष 2018–19 हेतु **निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/–** जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी। सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की उक्तानुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

(ii) वर्ष 2019–20 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की संबंधित वर्ष के लिये कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर वर्ष 2019–20 हेतु प्रति कम्पोजिट दुकान के लिये कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी ।

(iii) वर्ष 2019–20 में ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर निर्गम के लिये देय ''स्पेशल वेण्ड फीस'' के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर ''स्पेशल वेण्ड फीस'' पृथक से नकद देय होगी।

*स्पष्टीकरण :–*

**(iv) एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount)** :–
किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों हेतु मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम 9 माह में समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि (Including all levies, VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर वर्ष 2019–20 के लिये एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

(v) परिधिय क्षेत्र (विर्निदिष्ट नगरीय क्षेत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सागवाडा की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि ) के ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी के सभी गॉवों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2019-20.org** पर उपलब्ध है। यह सूचना जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी। देशी मदिरा की कम्पोजिट फीस अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत लोकेशन के आधार पर उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार लागू होगी।

(vi) विदेशी मदिरा व बीयर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से वैट एवं अन्य कर/प्रभार आदि, जो भी देय होगे, वे अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करने होगें।

(vii) भा.नि.वि.मदिरा के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि एवं बीयर के वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि.मदिरा की मात्रा पर रू. 30/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी । उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

(viii) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

(ix) जो अनुज्ञाधारी 2019–20 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से अधिक उठायी गयी मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(x) जिन समूहों में वर्ष 2019–20 हेतु कम्पोजिट शुल्क की राशि रूपये एक करोड से अधिक है उनको कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में समान तीन किश्तों में जमा करानी होगी।

## 13. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

देशी मदिरा दुकान / दुकाने उसके लिये निर्धारित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /परिषद/पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाई जा सकेगी परन्तु दो पड़ौसी समूहो में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्धेश्य से जिला आबकारी अधिकारी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा ।

## 14. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

14.1 देशी मदिरा पर रूपये 150/– प्रति प्रूफ लीटर (एल.पी.एल) की दर से आबकारी शुल्क लगाया जायेगा ।

14.2 देशी मदिरा पर रू. 1/–प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस लगायी जायेगी। अनुज्ञाधारी को उक्त निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान करना होगा।

14.3 इसके अतिरिक्त मदिरा के मूल्य का भुगतान राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को किया जाना होगा ।

14.4 देशी मदिरा के विक्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जायेगा।

14.5 आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019–20 के बिन्दु संख्या 3.8.2 के अनुसार देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

14.6 वर्ष 2019–20 के लिये देशी मदिरा के पव्वों का न्यूनतम विक्रय मूल्य 40 यूपी ग्लास रू. 32/–, 40 यूपी पेट रू. 31/– एवं 50 यूपी पेट रू. 27/– निर्धारित किया गया है।

14.6 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2019–2020 के तहत जारी की गई अधिसूचना /विभागीय परिपत्र/आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

## 15 दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया

15.1 किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 05.03.2019 को प्रातः 11.00 ए.एम. से जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी, जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग III) अपने साथ रखें।

15.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग II को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

15.3 किसी दुकान/ दुकान समूह हेतु दो अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूचि (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूचि में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में धरोहर राशि जमा नही करवाता हैं या देशी मदिरा की अन्य दुकान उसको आवंटित हो जाती है तो आरक्षित सूचि में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके ।

16. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

17. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय / विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

**आबकारी आयुक्त,**
**राजस्थान, उदयपुर**

# राजस्थान – सरकार
# आबकारी – विभाग

## राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या ..... दिनांक : .....

| अनुज्ञाधारी का नाम | पिता/पति का नाम | आयु | पूर्ण पता |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

उपर्युक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा निदेशित राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदाम से देशी मदिरा प्राप्त कर समूह क्षेत्र में अवस्थित दुकान / दुकानों पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक .....से ..... तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

देशी मदिरा समूह का नाम :.....
समूह में निर्धारित दुकानों की संख्या : .....
समूह में निर्धारित दुकानों का विवरणः .....
.....
.....

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2019–2020 की निर्धारित वार्षिक राशि की वांछित 8 प्रतिशत नियमानुसार अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि जमा करा दी है ।

# देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की शर्ते

1. **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :–**

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, **1950** (राजस्थान अधिनियम संख्या–2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, **1956** एवं आवेदन के सदर्भ में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. **वार्षिक राशि एवं अन्य राशियाँ तथा उनका भुगतान :–**

2.1 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं 30 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम संख्या 67 (आई) के अधीन एकाकी विशेषाधिकार के लिए वर्ष 2019–20 (दिनांक 1.4.2019 से 31.3.2020 तक) की अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक राशि रूपये .....(अंकों में) रूपये ..... ..... (शब्दों में) का भुगतान करना होगा।

2.2 अनुज्ञाधारी को निर्धारित दुकान / दुकानों की वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि बतौर अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि दिनांक 01.04.2019 से पूर्व एवं आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं शर्तो के अनुसार राजकोष में जमा करानी होगी ।

2.3.1 एकाकी विशेषाधिकार की वार्षिक राशि का भुगतान समतुल्य 12 मासिक किश्तों में करना होगा। माह का आशय कैलेण्डर माह से है। प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम दिनांक तक करना होगा। देशी मदिरा पर भुगतान की गई आबकारी ड्यूटी का मासिक किश्त की राशि के प्रति रिबेट (भराव) देय होगा, जो किसी भी दशा में मासिक किश्त की राशि से अधिक नही होगा परन्तु माह अप्रेल से जून के मध्य मासिक किश्त से अधिक उठाई गई मदिरा का भराव माह जुलाई से सितम्बर तक की किश्तो पेटे दिया जा सकेगा ।

खुदरा अनुज्ञाधारी को मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 60 प्रतिशत 40 यू.पी. देशी मदिरा से तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्गम 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा सम्मिलित रूप से लेना आवश्यक होगा।

प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना अनिवार्य है। लेकिन एक माह में 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही हो पाने पर अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यू.पी. की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के तीन माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के योग की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा के उठाव के लिए जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो। एक त्रैमास में इस अनुपात से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यू.पी. की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के देय आबकारी शुल्क एवं

वास्तविक रूप से 50/60 यू.पी. देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति की अन्तर की राशि नकद से पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

2.3.2 विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। ब्याज के भुगतान करने के लिये पृथक से नोटिस की आवश्यकता नही होगी।

2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69–बी के अन्तर्गत देय फीस पृथक से भुगतान करनी होगी।

2.5 उपर्युक्त राशियों के अलावा अन्य कोई फीस, कर प्रभार, यदि कोई देय होगा तो अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करना होगा।

2.6 वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 18 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2019 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी। यह 18 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि का वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह सितम्बर से माह फरवरी तक 3 प्रतिशत राशि प्रतिमाह निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

2.7 वर्ष 2019–20 में देशी मदिरा उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी शुल्क का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक राशि के पेटे दिया जायेगा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ड्यूटी का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत भराव इस स्लेब में निर्धारित ड्यूटी के पेटे दिया जावेगा। यह भराव देशी मदिरा के एकाकी विशेषाधिका राशि के पेटे वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.05.2019 से लागू होगा।

## 3. <u>अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :–</u>

3.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत निर्धारित क्षेत्र में देशी मदिरा एवं प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके पात्र वारिसान द्वारा एक माह की अवधि में अपने नाम पर अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण करवाने हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन करना होगा। अनुज्ञानपत्र विधिवत स्थानान्तरण

नही कराने पर दुकानों का संचालन अवैध होगा एवं ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर समस्त जमा राशि जब्त सरकार की जावेगी। एवं अवैध संचालन के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व होगें किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तो से यथावत् बाध्य रहेगें।

3.3 एकल व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

3.4 व्यक्तियों के समूह के रूप में भी आवेदन किया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के रूप में आवेदन करने की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पत्ता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा । व्यक्तियों के समूह में सम्मलित समस्त व्यक्ति आवेदन स्वीकृत होने पर सभी अनुज्ञाधारी कहलायेगें एवं वे संयुक्त तथा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगें । ऐसे समूह में सम्मलित व्यक्ति आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगें । यदि कोई व्यक्ति समूह से पृथक हो जाता है या विभाग द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो भी अनुज्ञापत्र की सम्पूर्ण अवधि तक समूह के अन्य व्यक्तियों के भॉति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभाग के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

3.4 सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भी आवेदन किया जा सकता है। सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में आवेदन करने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से आवेदन स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित समस्त सभी व्यक्ति अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिये संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा । ऐसे भागीदारी में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी।

3.5 साझीदारी फर्म के नाम से भी आवेदन किया जा सकता है। साझेदार फर्म के नाम से आवेदन किये जाने की स्थिति में समस्त साझीदारों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा तथा पार्टनरशिप डीड संलग्न करना होगा। सभी साझीदारों को आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सभी साझेदार अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय शुल्क इत्यादी जमा कराने के लिए संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। अनुज्ञा पत्र की अवधि तक साझेदारी

फर्म से साझेदार अपना नाम वापस नही ले सकेगे । अनुज्ञापत्र में सम्मलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी।

कम्पनी द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। कम्पनी द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी निदेशक का संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा । कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाऐं देना भी अनिवार्य होगाः–

(1) कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति ।
(2) निदेशको के नाम व पूर्ण पते ।
(3) गत दो वर्षो के अंतिम लेखो की अंकेक्षित प्रति ।

4. **धरोहर राशि (Security Deposit)** :

4.1 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र शर्तो की पालना सुनिश्चित करने हेतु उस दुकान/ दुकान समूह की वर्ष 2019–20 की वार्षिक राशि की 8 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में आवेदन प्रपत्र के संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश व शर्तो में दी गई अवधि में जमा करानी होगी।

4.2 सफलतापूर्वक दुकान/समूह का संचालन कर लेने एवं कोई बकाया नही रहने पर धरोहर राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

4.3 अनुज्ञाधारी को स्वयं का फोटो पहचान पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

5. **दुकानों की अवस्थिति :**

5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र (यथा ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका का वार्ड अथवा उसका समूह) में देशी मदिरा की निर्धारित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा, परन्तु इसके लिये उसे अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करानी होंगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नही कर सकेगा।

5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा उसके द्वारा देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान स्थानान्तरण/ लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable )

होगी। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

5.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक किश्त की राशि में छूट पाने का हकदार नही होगा तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान स्थानान्तरण/लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी।

5.4 निर्धारित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उन्हें संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.5 अनुज्ञाधारी मदिरा की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होगे।

5.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

5.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017, 11.07.2017 एवं 23.02.2018 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर मदिरा की दुकानों अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दुरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

5.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। मदिरा दुकान का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की, आला या दीवार में छेद इत्यादि नही होगा । दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी । आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके

अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम, भेट, नजराना या प्रलोभन नही ले सकेगा । इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नही कर सकेगा ।

5.9 सभी मदिरा दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ–सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न किस्म की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा। इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रर्दशित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित साईज की लगानी होगी । यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इसे आसानी से पढ़ सके / देख सकें।

5.10 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर वार्षिक / मासिक किश्त की राशि के भुगतान में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

5.11 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत कराई गई दुकान को अपने क्षैत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

5.12 वर्ष 2019–20 के लिये दो या दो से अधिक दुकान वाले मदिरा समूह को एक गोदाम की सुविधा रूपये 20000/– की वार्षिक फीस पर उपलब्ध होगी। रूपये 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू. 30000/– की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा उपलब्ध होगी। कम्पोजिट दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम में देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के भण्डारण की अनुमति दी जा सकेगी। गोदाम की दुरी शहरीय क्षेत्र में मदिरा दुकान से 500 मीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलो मीटर से अधिक नही होगी।

5.13 देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र के संबंध में जो भी कर देय होंगे वह अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करने होंगे।

5.14 आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019–20 के बिन्दु संख्या 3.8.2 के अनुसार देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

6. <u>दुकानों का संचालन :</u>

6.1. दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

6.2 वर्तमान में नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) को शुष्क दिवस रहेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय–समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

6.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश मदिरा के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न देय राशि में कोई कमी की जायेगी।

6.4 देशी मदिरा अनुज्ञाधारी मदिरा की आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेगा और उसे अपनी दुकान पर सबसे अधिक सीधे मार्ग से अथवा पास में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसके लिए पास भी साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।

6.5 अनुज्ञाधारी को अपने क्षेत्र की दुकान / दुकानों तथा विभाग द्वारा स्वीकृत खुदरा गोदाम के मध्य माल लाने व ले जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नही होगी। इस हेतु ''परिवहन घोषणा पत्र'' अनुज्ञाधारी द्वारा जारी किया जावेगा। परिवहन घोषणा–पत्र पुस्तिका विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को जारी की जावेगी। इस घोषणा–पत्र की मान्यता अवधि एक दिन की होगी।

6.6 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर किसी भी रूप मे मदिरा पान करना/ कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा । स्वीकृत दुकान पर वैध रूप से क्रय की गई राज्य में विक्रय योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ/अन्य वस्तुऐं यथा खाली बोतल, काटॅन इत्यादि नही रखे जा सकेगे।

6.7 **मदिरा दुकानो पर नौकर रखे जाने की स्थिति**

**6.7.1 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये वांछित पात्रता वाले व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी की पूर्वानुमति से नौकरनाम सम्पादित कर नौकर रख सकेगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता/पति एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।**

**6.7.2 किसी भी मदिरा दुकाने के लिये नौकर रखे जाने की अधिकत सीमा चार होगी।**

**67.3** दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

6.7.4 संबंधित जिला कार्यालय में मदिरा दुकान पर रखे जाने वाले नौकर के रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

6.7.5 मदिरा दुकान पर रखे नौकर द्वारा किये गये प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वंय उत्तरदायी होगा।

6.7.6 रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों हेतु बनाये जाने वाले नौकरनामों को ऑनलाईन किया जाना होगा।

6.8 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में देशी मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी, जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।

6.9 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2019–20 में भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान, परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान एवं रिटेल ऑन के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 30/–प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 20/–प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। यह राशि अनुज्ञाधारी को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर राजकोष में जमा करानी होगी।

6.10 अनुज्ञाधारी मदिरा बन्द बोतलों/अद्धों/पव्वों में ही विक्रय कर सकेगा।

6.11 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत खुदरा विक्रय हेतु उल्लेखित अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में

मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

6.12 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान मदिरा नही बेच सकेगा।

6.13 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

6.14 अगर अनुज्ञाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि अन्य देशी मदिरा समूह क्षेत्र में अवैध रूप से देशी मदिरा भेजते हुए पाया जाता है तो अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा उस पर उचित शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी ।

6.15 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगा ।

6.16 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नही लगा सकेगा।

## 6. <u>अभिलेखों का संधारण :</u>

7.1 अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। दैनिक हिसाब विभागीय निर्देशानुसार संधारित करना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

## 8. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :

8.1 अनुज्ञाधारी को मासिक किश्तों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.1 के तहत निर्धारित अवधि तक करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि तक की मासिक किश्त को जमा नही कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

8.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नही चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवंचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8..3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.5 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियिम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.6.1 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके समूह क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा । यदि यह पाया जाता है कि क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामलो में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

8.6.2 **देशी मदिरा की जो दुकाने कम्पोजिट श्रेणी की स्वीकृत है, यदि उनका अनुज्ञाधारी भा0नि0वि0 मदिरा/वाईन/आर.टी.डी./बीयर विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया जाता है, तो यह अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लघंन की श्रेणी में आएगा। ऐसे प्रकरणों की जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत मुकदमा दर्ज कर निम्नानुसार जुर्माना राशि/कार्यवाही की जायेगी :–**

| | |
|---|---|
| प्रथम बार उल्लंघन करने पर | 20 हजार |
| द्वितीय बार उल्लंघन करने पर | 40 हजार |
| तृतीय बार उल्लंघन करने पर | 75 हजार |
| चतुर्थ बार उल्लंघन करने पर | अनुज्ञापत्र निरस्त |

9. **बकाया राशियों की वसूली** :

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियो, उनके वारिसो/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारियों की सम्पतियों तथा उनके वारिसो/ उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। प्रथम प्रभार का अंकन अनुज्ञाधारी की स्वामित्व की परिसम्पत्तियों के मूल रेकार्ड/राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावेगा।

10. **अन्य बिन्दु :**

10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत कारित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

10.3 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

10.4 आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

10.5 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2019–2020 के तहत जारी की गई अधिसूचना /विभागीय परिपत्र/आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

**अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर**

## प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या ..... जिला .....

समूह का नाम .....

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करतें हैं।

**हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी**

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत .....

**प्रति हस्ताक्षर**
**जिला आबकारी अधिकारी**